भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2154**

15 मार्च, 2022 को उत्तरार्थ

**विषय:- सहकारी कार्यकलापों को बढ़ावा देना**

2154. श्री राजू बिष्ट:

श्री सी.आर. पाटिल:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सहकारी कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार कृषि क्षेत्र में सहकारी कार्यकलापों को बढ़ाने के लिए कोई विशेष योजना कार्यान्वित करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) के उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) पीएसीएस के डिजिटलीकरण के लक्ष्य और उद्देश्य तथा पीएसीएस के डिजिटलीकरण के पश्चात होने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पीएसीएस के डिजिटलीकरण का ब्यौरा और स्थिति क्या है?

**उत्तर**

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क): सहकारिता मंत्रालय सहकारी समितियों के विकास और सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से सहकारी आंदोलन को देश मेंगति देने के लिए कृषि सहयोग पर केंद्रीय क्षेत्र की योजना (सीएसआईएसएसी) का कार्यान्वयन कर रहा है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा सीएसआईएसएसी योजना के तहत राज्य सरकार के माध्यम से सहकारी समितियों को सहायता का राज्यवार विवरण अनुबंध-I में है।

(ख): यह मंत्रालय सहकारिता क्षेत्र के लिए नई योजनाएं तैयार करने की प्रक्रिया में है। इन योजनाओं से अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में संलग्न सहकारी समितियों को लाभ होगा।

(ग): प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पीएसीएस) किसानों, ग्रामीण कारीगरों आदि के स्वामित्व वाली प्राथमिक सहकारी समितियाँ हैं। वे देश में प्रचालित त्रि-स्तरीय अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना के निचले भाग में स्थित हैं। इनका उद्देश्य अपने सदस्यों की ऋण आवश्यकता

को पूरा करना, बीज, उर्वरक आदि जैसे इनपुट की आपूर्ति, फसल खरीद, सदस्यों को चयनित ऋण सेवाओं का विस्तार, कृषि उपज का विपणन आदि करना है। प्राथमिक सहकारी समिति के सटीक उद्देश्य उनके उप-नियमों द्वारा शासित होते हैं जो संबंधित राज्यों के सहकारी अधिनियमों के तहत पंजीकृत हैं।

(घ): पीएसीएस के डिजिटलीकरण करने का लक्ष्य, उद्देश्य और लाभ उनके कामकाज में दक्षता, जवाब देही, पारदर्शिता लाना और उन्हें बहुउद्देश्यीय संगठनों में परिवर्तित करना है।

(.ड): सरकार देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक परियोजना तैयार कर रही है। इस परियोजना में प्रशिक्षण, प्रारंभिक सहायता और सहायता प्रणाली के साथ-साथ 63,000 पैक्स को कम्प्यूटरीकृत किया जाना है। 2022-23 के बजट में उक्त परियोजना के लिए 350 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।नाबार्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, तेलंगाना ने पीएसीएस के कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया है तथा उत्तराखंड पीएसीएस पैक्स के कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया में है।

**अनुबंध-I**

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से सहायता प्राप्त सोसायटी/परियोजनाएं

| | | | | (राशि- लाख रु०में) |
|---|---|---|---|---|
| **क्रम स.** | **राज्य का नाम** | **2019-20** | **2020-21** | **2021-22** |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 531.50 | 2893.42 | 29.90 |
| 2. | अरुणांचल प्रदेश | 168.75 | 143.75 | |
| 3. | असम | 398.26 | 155.37 | 12.82 |
| 4. | बिहार | 912.58 | 2231.72 | 1452.80 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 34.73 | 1.09 | 80.43 |
| 6. | गोवा | 2.46 | 4.27 | - |
| 7. | गुजरात | 1007.12 | 600.46 | 307.58 |
| 8. | हरियाणा | 231.79 | 9.39 | 52.78 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 241.89 | 645.19 | 49.90 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | - | - | 12.82 |
| 11. | झारखण्ड | 483.23 | 70 | 42.63 |
| 12. | कर्नाटक | 264.23 | 58.18 | 59.75 |
| 13. | केरल | 401.30 | 800.81 | 96.31 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 975.14 | 629.86 | 436.25 |
| 15. | महाराष्ट्र | 1538.15 | 5578.72 | 309.52 |
| 16. | मणिपुर | 93.33 | - | 4.27 |
| 17. | मेघालय | - | 1345.87 | - |
| 18. | मिजोरम | - | 60.54 | 23.13 |
| 19. | नागालैंड | 387.97 | 179.17 | 17.09 |
| 20. | नई दिल्ली | - | 232 | - |
| 21. | ओडिशा | 36.99 | 16 | 30.78 |
| 22. | पंजाब | - | - | 12.82 |
| 23. | राजस्थान | 803.49 | 2572.05 | 129.04 |
| 24. | तमिलनाडु | 301 | 480.70 | 281.15 |
| 25. | त्रिपुरा | - | 200.50 | 90.00 |
| 26. | तेलंगाना | 1512.86 | 5476.91 | 1238.01 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 439.75 | 879.90 | 335.13 |
| 28. | उत्तराखंड | 802.92 | 1712.10 | 149.42 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 1243 | 3682.68 | 2036.44 |
| 30. | अंडमान एवं निकोबार | 70.00 | - | - |

*****